240

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक एफ-5-2 /2017/1/8 भोपाल,दिनांक 26-5-2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट अपील या विशेष अनुमति याचिकाओं में प्रस्तुति के लिए विलम्ब क्षमा न करते हुए दोषियों के विरूद्ध जिम्मेदारी का निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत्।

माननीय न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने, महाधिवक्ता कार्यालय/शासकीय अधिवक्ता से सतत् संपर्क स्थापित करने, प्रकरण में प्रभावी प्रतिरक्षण करने तथा न्यायालय के निर्णयों के सन्दर्भ में कार्यवाही करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। महाधिवक्ता मध्यप्रदेश एवं उनके कार्यालय द्वारा भी न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में सूचना दी जा कर यह अपेक्षा की जाती है कि नियत तिथि के पूर्व प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत हो जाए।

2/ यह भी देखा गया है कि न्यायालयीन निर्णयों/आदेशों का समय के भीतर पालन न किए जाने के कारण शासन के अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना के प्रकरण की स्थिति बनती है। स्पष्ट है कि संबंधित विभागों/कार्यालयों/प्रभारी अधिकारियों द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा न्यायालयीन आदेशों के पालन में अपेक्षित तत्परता नहीं बरती जा रही है।

3/ अतः निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों के संबंध में जैसे ही उच्च न्यायालय से नोटिस/याचिका प्राप्त हो अथवा महाधिवक्ता कार्यालय से फैक्स, पत्र अथवा सूचना प्राप्त हो,

निरंतर.....2

प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा अतिशीघ्र की जाए।

4/ संबंधित प्रकरण के प्रभारी अधिकारी अविलम्ब प्रकरण की अद्यतन स्थिति एवं सुनवाई की आगामी तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा प्रकरण से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर नियत तिथि से पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जाए।

5/ यदि किसी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नियत तिथि से पूर्व जवाबदावा प्रस्तुत करना संभव न हो तो प्रभारी अधिकारी उसका कारण बताते हुए समय वृद्धि हेतु स्वयं महाधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन प्रस्तुत करेंगे, परन्तु इस व्यवस्था का उपयोग बार–बार न किया जा कर केवल विशेष परिस्थितियों में एवं ठोस कारण होने पर ही किया जाना चाहिए।

6/ किसी भी प्रकरण में न्यायालयीन आदेश होने पर शासकीय अधिवक्ता का मत प्राप्त कर प्रभारी अधिकारी द्वारा सक्षम/वरिष्ठ अधिकारी को आदेश से तत्काल अवगत कराया जाए। आदेश के विरूद्ध अपील की जाना आवश्यक होने पर समय–सीमा के भीतर अपील का निर्णय लिया जाए। अपील प्रस्तुत करने में विलंब होने पर अथवा आदेश के पालन में विफल रहने पर अथवा अवमानना याचिका प्रस्तुत होने पर इसके कारणों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार जॉच/कार्यवाही की जाए।

7/ माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट अपील या विशेष अनुमति याचिकाओं में प्रस्तुति के लिए विलम्ब क्षमा न करते हुए, विलम्ब के कारण यदि कोई अपील या विशेष अनुमति याचिका माननीय न्यायालय द्वारा अमान्य की जाती है तो ऐसे सभी प्रकरणों में विभाग द्वारा विलम्ब के कारणों की अनिवार्यतः छानबीन कर जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाए। यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

8/ विलम्ब व उसकी जिम्मेदारी का निर्धारण संबंधित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव एवं प्रमुख सचिव विधि विधायी एवं कार्य विभाग की एक संयुक्त जांच समिति द्वारा किया जाये।

9/ माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रशासकीय विभाग सम्पूर्ण ब्यौरा इस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा समिति अपनी अनुशंसाएं एक माह के भीतर देगी। समिति की अनुशंसा पर प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। जिन

निरंतर.....3

मामलों में जिम्मेदार अधिकारी का कॉडर नियंत्रण प्राधिकारी प्रशसकीय विभाग से भिन्न हो तो कार्यवाही के प्रस्ताव संबंधित कॉडर प्रबंधन प्राधिकारी को तत्काल भेजे जाये।

10/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(सीमा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमांक एफ-5-2 /2017/1/8 भोपाल,दिनांक 26-5-2017

प्रतिलिपिः–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
2 रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर/इन्दौर ।
3. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ,भोपाल
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल।
11. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त लिटिगेशन, जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर।
17. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर/ इन्दौर, ।

25.5.17
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग